Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

राज्यपाल अभिभाषण–2014
अत्यावश्यक/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः– प0 1(5)मं.मं./2013 जयपुर, दिनांकः 29.12.2013

परिपत्र

राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र माह जनवरी, 2014 के द्वितीय सप्ताह में आरम्भ होने की संभावना है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं नीति/निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा। इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया जावेगा उनका भी संक्षिप्त विवरण होगा।

अतः निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में सम्मिलित करने हेतु आपके विभाग से संबंधित सामग्री सरल हिन्दी भाषा में संकलित कर तीन–तीन प्रतियों में मय साफ्ट कॉपी के निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, इस सचिवालय को दिनांक 07 जनवरी, 2014 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किये जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।

2. विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका राज्यपाल अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना वांछनीय हो और जो विभाग की उपलब्धियों/भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हो।

3. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये चयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। **यथा संभव संकलित सामग्री एक पृष्ठ से अधिक ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में इस सचिवालय को अधिक काट–छांट नहीं करनी पड़े।**

क्रमशः.......................2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

4. राज्यपाल अभिभाषण के लिये भेजी जाने वाली सामग्री में जहां कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।

5. इस सचिवालय को भेजी जाने वाली सामग्री पर संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रेषित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें एवं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री सरल हिन्दी भाषा में निर्धारित तिथि दिनांक 07 जनवरी, 2014 तक मय सोफ्ट कॉपी इस सचिवालय को निश्चित रूप से प्रेषित की जावें।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

1. अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

(हरी बाबू शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव